

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 1984/फाल्गुन 9, 1905
No. 52] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 1984/PHALGUNA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

साक्ष और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(साक्ष विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1984

सा. का. नि. 80(अ).—केन्द्रीय सरकार, शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966
के खण्ड 2 के अनुसरण में, और भारत सरकार के साक्ष, कृषि, सामुदायिक विकास
और सहकारिता मंत्रालय (साक्ष विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 922,
तारीख 10 जून, 1966 और सा. का. नि. सं. 935 तारीख 12 जून, 1970, को उन
बानों के सिवाय अधिकांते करते हुए, जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया
गया है, चर्करा निदेशालय के तकनीकी अधिकारियों, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारियों,

सहायक निदेशकों और निरीक्षण अधिकारियों को, उक्त खण्ड के उपखण्ड (ख) (ग), (घ) और (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[सं. 1-18/83-एस पी आई-(डी)-2]

एन. आर. बनर्जी, संयुक्त सचिव (चीनी)

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1984

GSR 80(E).—In pursuance of clause 11 of the Sugar (Control) Order, 1966, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. GSR 922 dated, the 10th June, 1966 and GSR No. 935 dated, 12th June, 1970, except as respects things done or omitted to be done, the Central Government hereby authorises the Technical Officers, the Junior Technical Officers, Assistant Directors and Inspecting Officers in the Directorate of Sugar to exercise the powers conferred by sub-clauses (b), (c), (d) and (e) of the said clause.

[No. 1-18/83-SPY(D-II)]

N. R. BANERJI, Jt. Secy. (Sugar)